3415

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

UPPCL

संख्या–84–औ0सं0/2019–100–ए0एस0/96 दिनांक 08 जनवरी, 2019

ई–मेल

सर्वोच्च प्राथमिकता/कार्य बहिष्कार नोटिस

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत),
समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/पारेषण,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
लखनऊ।

विषय :– **विद्युत मजदूर संगठन, उ0प्र0 एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन द्वारा दिनांक 09.01.2019 को प्रातः 8:00 बजे से निरन्तर 72 घंटे कार्य बहिष्कार किये जाने की नोटिस के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कतिपय माँगो के सम्बन्ध में विद्युत मजदूर संगठन, उ0प्र0 एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन द्वारा दिनांक 09.01.2019 को प्रातः 8:00 बजे से निरन्तर 72 घंटे कार्य बहिष्कार किये जाने की नोटिस दी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। संगठन द्वारा दिनांक 09.01.2019 को प्रातः 8:00 बजे से निरन्तर 72 घंटे कार्य बहिष्कार किया जाना अनुचित व अवैधानिक है।

उ0प्र0 सरकार ऊर्जा अनुभाग–02 ने **अधिसूचना सं0–2/2019/2368/24–पी– 2–18–1(121)/04 दिनांक 04.01.2019 (प्रतिलिपि संलग्न)** द्वारा उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उ0प्र0 अधिनियम सं0–30 सन् 1966) की धारा 03 की उपधारा (01) के अधीन ऊर्जा क्षेत्र में समस्त सेवाओ पर हड़ताल निषिद्ध के आदेश निर्गत किये है। अधिसूचना को कारपोरेशन के **पृष्ठांकन सं0–20/औ0सं0/2019–159ए/67 दिनांक 04.01.2019** द्वारा प्रेषित किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ0सं0/17/पाकालि/2001–3– ए0/79 दिनाँक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में **"काम नहीं तो वेतन नहीं"** के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश भी विद्यमान है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विद्युत मजदूर संगठन, उ0प्र0 एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन द्वारा दिनांक 09.01.2019 को प्रातः 8:00 बजे से निरन्तर 72 घंटे कार्य बहिष्कार किये जाने की नोटिस को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत आपूर्ति की स्थिति सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व सयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला–प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये।

यह भी अनुरोध है कि विद्युत मजदूर संगठन, उ0प्र0 एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन द्वारा दिनांक 09.01.2019 को प्रातः 8:00 बजे से निरन्तर 72 घंटे कार्य बहिष्कार किये जाने की नोटिस के दृष्टिगत कार्मिकों को (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) अवकाश स्वीकृत न किया जाये तथा अनुपस्थित होने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ0सं0/17/पाकालि/2001–3 ए0/79 दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में **"काम नही तो वेतन नही"** के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाये तथा हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाये।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से कारपोरेशन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

एस0पी0ओ0

विद्युत मजदूर संगठन/97.

संख्या–84–(1)–औ0सं0/2019, तद्‌दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, ट्रांस्को, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल–वाराणसी, पश्चिमांचल–मेरठ, मध्यांचल–लखनऊ, दक्षिणांचल–आगरा विद्युत वितरण निगम लि0 एवं मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), केस्को कानपुर।
7. महानिदेशक (प्रशिक्षण), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता, जाँच समिति/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, गोमती नगर, लखनऊ।
9. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को विद्युत मजदूर संगठन, उ0प्र0 एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन द्वारा दिनांक 09.01.2019 को प्रातः 8:00 बजे से निरन्तर 72 घंटे कार्य बहिष्कार किये जाने की नोटिस के दृष्टिगत रखते हुये नोटिस की प्रति सहित कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
11. मुख्य अभियन्ता (जानपद), पारेषण–।।, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को दिनांक 09.01.2019 को प्रातः 8:00 बजे से निरन्तर 72 घंटे कार्य बहिष्कार किये जाने की नोटिस की प्रति संलग्न करते हुये शक्ति भवन एवं शक्ति भवन विस्तार की सुरक्षा हेतु जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन को सूचित करते हुये समुचित प्रबन्ध करने हेतु।
12. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)/महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

विद्युत मजदूर संगठन उ0प्र0 एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन उ0प्र0

(पंजीकृत सं0 236) (पंजीकृत सं0 9710)

केन्द्रीय कार्यालयः– जी–107,हमबरा अपार्टमेण्ट,श्यामा चौराहा नरही लखनऊ।

पत्रांक–76/विमस/नोटिस दिनांक–24.12.2018

12625/MD/18
dt. 24/12/18

सेवा में,

अध्यक्ष,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन/उत्पादन निगम/पारेषण /जल विद्युत /केस्को ।

विषय–आन्दोलन की नोटिस।

महोदय,

कृपया संगठन के पत्र संख्या 63/विमस दिनांक–24.10..18 एवं पत्र संख्या 60/विमस दिनांक–27.09.18 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संगठन का मत है कि कार्यालय सहायक/टी0जी0–2 एवं समकक्ष तथा चतुर्थ श्रेणी के ग्रेड पे/वेतन विसंगति के सम्बन्ध में श्री अजय अग्रवाल सचिव (वित्त) (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा रिपोर्ट में दी गई विवेचना सत्य से परे है और उस आधार पर वेतन विसंगति की मांग को अस्वीकार करना पूर्णतयः अनुचित है। इसलिए संगठन का निश्चित मत है कि ग्रेड पे के मामले पर द्विपक्षीय वार्ता से समाधान निकाला जाना चाहिए।

संविदा कर्मियों के वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में संगठन द्वारा पूर्व में अनेक बार आपके समक्ष अपना पक्ष रखकर यह बताने का प्रयास किया गया कि खतरे से दिन रात जूझ रहे संविदा कर्मियों को नरेगा के मजदूर से भी कम वेतन मिल रहा है जो पूर्णतया अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है। इस प्रकरण में सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मियों को ज्यादा वेतन दिये जाने के मामलों पर ध्यान इंगित कराकर आपसे वाह्य एजेन्सियों के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाने का अनुरोध किया गया था परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नही की गयी, जबकि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा नियमित कर्मचारी के बराबर वेतन दिये जाने का आदेश किया गया है।

संविदा कर्मियों को वेतन भुगतान का मामला बार–2 उठाया गया है और माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा जी ने विभाग द्वारा सीधे वेतन का भुगतान किये जाने के बारे में सार्वजनिक घोषणा हमारे सम्मेलन 9 मई 2017 को तत्कालीन चेयरमैन श्री संजय अग्रवाल की उपस्थिति में किया था, लेकिन अभी तक आदेश जारी नही किया गया। संविदा कर्मियों के ई0पी0एफ0 धनराशि को खाते में जमा न करके इंजीनियरों की मिलीभगत से गोल–माल किया जा रहा है और काफी कम वेतन का भुगतान महीनों महीनो बाद किया जा रहा है।

टी0जी0–2 से जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के मामलें में विभिन्न कारणों से हुई देरी के मद्दे नजर संगठन का विचार है कि अब तेजी लाकर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए ताकि नये वर्ष के प्रारम्भ में टी0जी0–2 संवर्ग को भी पदोन्नतियों का लाभ मिल सकें।

उत्पादन निगम में कार्यरत विभिन्न संवर्गो में व्याप्त वेतन विसंगतियों के बारे में अभी तक निगम प्रबन्धन द्वारा किसी किस्म की कोई कार्यवाही नही की गई जिससे कर्मचारियों में घोर रोष व्याप्त है। जिसका प्रभाव उनके कार्यक्षमता पर पड़ने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है।

उपरोक्त परिस्थितियों में संगठन द्वारा आपके ध्यानाकर्षण हेतु 29 दिसम्बर को प्रदेश के समस्त जिलों/परियोजना पर एक द्विवसीय धरना किया जाएगा और समाधान न होने की दशा में 9 जनवरी को प्रातः 8:00 बजे से निरन्तर 72 घंटें कार्यबहिष्कार किया जाएगा।

(1) 29.12.18 को एक दिवसीय धरना
(2) 09.01.19 को 72 घंटे का कार्य बहिष्कार

620/GMU/2018
27/12/18

MD, PCL

DIR(P&A)

SPO
31-12-18

26.12.18

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0

Managing Director

मांगें–

1. कार्यालय सहायक/टी0जी0–2 एवं लैब असिस्टेन्ट तथा समकक्ष को नियुक्ति ग्रेड पे–4200 एवं चतुर्थ श्रेणी/श्रमिक को 2600 ग्रेड पे दिया जाय।
2. ऊर्जा मंत्री माननीय श्रीकान्त शर्मा जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार संविदा कर्मियों को विभाग से सीधे वेतन का भुगतान किया जाए।
3. जू0इंजी0 के रिक्त 1600 पदों पर पात्रता अवधि 5 वर्ष करते हुए टी0जी0–2 की पदोन्नति की जाए।
4. पुरानी पेंशन प्रणाली को पुनः लागू किया जाए तथा वर्ष 2005 तक ऊर्जा निगमों में नियुक्त कर्मियों को भी राज्य सरकार की भाँति पेंशन की सुविधा दी जाए।
5. 10 फरवरी 2015 के आन्दोलन के सम्बन्ध में दर्ज कराये गये मुकदमें को वापस लिया जाए तथा संगठन के मुख्य महामंत्री श्री आलोक सिन्हा का उत्पीड़न समाप्त किया जाए।
6. संविदा कर्मियो का वेतन बढ़ाकर न्यूनतम रू0–25000/– किया जाए।
7. कम्प्यूटर (संगणक) को वरिष्ठता से पदोन्नति कोटे में सहायक अभियन्ता बनाया जाए तथा पदोन्नति हेतु डिप्लोमा की बाध्यता समाप्त की जाय।
8. रसायनज्ञ द्वितीय को 5400 ग्रेड पे रसायनज्ञ प्रथम को 6600 गेड पे तथा मुख्य रसायनज्ञ को 8700 का ग्रेड पे दिया जाए।
9. लाइन मैन का कार्य कर रहे आई0टी0आई0 प्राप्त संविदा कर्मियों को अनुभव के आधार पर लाइन मैन के पद पर समायोजित किया जाए।
10. पनकी तापीय परियोजना से परिविस्तारित कर्मिकों को पनकी परियोजना में मिल रही सुविधाओं को लागू करते हुये उत्पादन प्रोत्साहन भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाए।
11. कार्यालय सहायक से सहायक लेखाकार के पद पर पदोन्नति में बी.कॉम की बाध्यता समाप्त की जाए तथा 40 प्रतिशत कोटा यथावत रखा जाए।

उपरोक्त मांगों को विचारार्थ प्रस्तुत करते हुये आपसे अनुरोध है कि समय रहते अपनी अध्यक्षता में द्विपक्षीय वार्ता करके मांगों का समाधान कराने की कृपा करें।

भवदीय

(आर0एस0 राय)
अध्यक्ष
विद्युत संविदा मजदूर संगठन उ0प्र0

(अरूण कुमार)
अध्यक्ष
विद्युत मजदूर संगठन उ0प्र0

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मा0 मुख्यमंत्री जी/ऊर्जामंत्री जी उ0प्र0 सरकार लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, पाकालि/उत्पादन/पारेषण/जल विद्युत/केस्को, निदेशक, (का0प्र0एवं प्रशा0)
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल वि0वितरण निगम।
4. मुख्य अभियन्ता(वितरण)/समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पाकालि।

(श्रीचन्द्र)
महामंत्री